कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(Water/PHED)2018/एफसीए/प्रमुवसं./ 3795 दिनांक 23.12.2020

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— Diversion of 0.016 ha. of forest land in foavour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CHITTORGARH for Amrut Yojana (Water Supply Project for Urben Chittorgarh) प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/35465/2018)

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक प.1(58)वन/2020 दिनांक 31.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से अतिरिक्त सूचनाऐं चाही गई थी, जो मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 6696 दि. 14.12.2020 से प्राप्त हुई है जो संलग्न कर इस कार्यालय की सहमति के साथ निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1.	आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करवाने हेतु प्रेषित की हैं। प्रस्ताव में 0.016 है0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जिसमें कुल 33 वृक्षों का पातन किया जाना हैं। नियमानुसार राज्य सरकार 1 है0 से कम वाले प्रस्ताव पर विचार करती है, जिनमें अनुपातिक रूप से 50 वृक्षों के पातन से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा हो। चूंकि उक्त प्रस्ताव में 0.016 है0 में कुल 33 वृक्षों का पातन किया जा रहा है, जो अनुपातिक रूप से अधिक हैं। इसलिए उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जाना होगा।	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की दिशा निर्देशिका के पैरा 4.3.1 (बी) के अनुसार 1 है0 वनक्षेत्र में अधिकतम 50 वृक्षों का पातन हो सकता हैं। 1 है0 से कम वनक्षेत्र प्रत्यावर्तन मामले में पातन योगय वृक्षों की गणना समानुपातिक की जावेगी तथा किसी भी स्थिति में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। उक्त प्रस्ताव में 0—30 से.मी. गर्थ के 31 पोल (झाड़ियों) काटे नहीं जावेंगे एवं 31—60 से.मी. गर्थ का 1 वृक्ष व 91—120 से. मी. गर्त का 1 वृक्ष है, जो काटे जाने योग्य हैं। इस प्रकार उक्त प्रस्ताव में 0.016 है0 क्षेत्र में 2 वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित हैं। अतः प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जाना उचित होगा।
2.	नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर के उक्त पत्र से स्पष्ट अंकित नही है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार राज्य सरकार द्वारा किया जाना है अथवा स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किया जाना हैं।	नियमानुसार राज्य सरकार 1 है0 से कम वाले प्रस्ताव पर विचार करती है, जिनमें 50 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा हो। चूंकि इस प्रकरण में दो ही वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है, जो कि अनुपातिक रूप से 50 वृक्ष प्रति है0 में कम हैं। अतः प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से ही विचार किया जाना उचित होगा।
3.	उक्त प्रस्ताव के साथ के.एम.एल. फाईल की सी.डी. संलग्न नहीं है, जिसके अभाव में प्रस्ताव को विचार किया जाना संभव नहीं हैं।	प्रस्ताव में ऑनलाईन के.एम.एल. फाईल उपलब्ध हैं।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(Water/PHED)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड—प्रथम, चित्तौडगढ़।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर।